कार्यालय आयुक्त, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक – [illegible]/प्रार./[illegible]/प्रशि./4486/ दिनांक – 30.8.07

समस्त प्रधान,
बी.एड.डी./एम.डी.डी.
महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय,
अजमेर।

विषय – राज्य के निजी क्षेत्र के संचालित शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय में दो वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2007-08 के लिये प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित किये जाने हेतु।

सन्दर्भ – उप शासन सचिव प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना) शासन सचिवालय जयपुर के पत्र क्रमांक प-[illegible] दिनांक 27/8/07

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के पत्र दिनांक 27/8/07 के द्वारा मिला पुनरावलोकन पत्र की छाया प्रति संलग्न कर लेख है कि राज्य सरकार द्वारा [illegible] गठित [illegible] संस्थाओं को एम.डी.डी./एम.डी.डी. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हेतु [illegible] में एवं संस्था-II को 50 सीटों के साथ प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। संलग्न [illegible] में दिए गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे तथा पत्र में वर्णित प्रवेश के सम्बन्ध में अनुपालना की पुनरावृत्ति पालना की जावे।

संलग्न – उ. अनुसार।

उप निदेशक (प्रशिक्षण)
प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर।

प्रतिलिपि – निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है –

1. उप शासन सचिव प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना) को उनके पत्र दिनांक 27/8/07 के सन्दर्भ में।
2. प्रशासक डी.ए. विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर।
3. समस्त [illegible] डॉ. [illegible] मेमोरियल [illegible] की [illegible]
4. [illegible] कॉलेज [illegible], बीकानेर

उप निदेशक (प्रशिक्षण)
प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर।

विशेष नोट –

117

क्र.सं. 3 में अंकित संस्था को छोड़ कर शेष सभी संस्थाओं को NCTE के द्वारा सीटों का आंवटन किया गया है कि एक इकाई तुरन्त आयुक्तालय को, पुनरावृत्ति अनुपालना को निदेशालय स्तरीय व्यवस्था करवावे।